न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 17/2018 जिला अलवर

1. दयाराम पुत्र श्री थावर, जाति जाट
2. सहीराम पुत्र श्री रामचन्दर,
3. सुलतान पुत्र श्री रामचन्दर,
4. मातादीन पुत्र गीधा,
5. दीनाराम पुत्र श्योचन्द
6. कंवर सिंह पुत्र श्योदान,
7. प्यारेलाल पुत्र घीसाराम,
8. मुकेश कुमार पुत्र श्री शीशराम

जातियान जाट निवासीयान ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।

–अपीलान्ट्

बनाम

1. रोहिताश पुत्र रतिराम जाति जाट निवासी ग्राम राजवाडा तहसील मुण्डावर जिला अलवर।
2. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुण्डावर कम भू–अभिलेख अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 27.12.2016

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री विजय सिंह राठौड।
2. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री अमित कुमार
3. वकील रेस्पोडेन्ट नं. 2 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

निर्णय

दिनांक –06.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुण्डावर कम भू–अभिलेख अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 27.12.2016 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 10.08.2018 को प्रस्तुत हुई है। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर ने स्थायी, कदीमी, निर्बाध रूप से प्रचलित बारहमासी, सार्वजनिक आम रास्तो के राजस्व रिकार्ड व नक्शे अंकन, आदिनांकन, परिवर्तन व तरमीम करने का प्रस्ताव दिनांक 16.12.2016 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के प्रावधानुसार तहसील मुण्डावर के ग्राम राजवास के खसरा नम्बर 1096/0.34, 1099/1.25, 1104/1.01, 1283/1106/0.20, 1111/.62, 1112/0.63, 1114/1365/0.63, 1228/1141/0.10, 1229/1141/0.11, 1140/.16, 1138/.15, 1308/1137/0.04, 1307/1137/0.18, 1404/1137/0.09, 1134/0.29, 1133/0.30, 1132/0.22, 1149/0.29, 1150/0.15, 1189/.33, 1185/0.65 1189/0.52, 1229/1141/0.11 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुण्डावर कम भू–अभिलेख अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी मुण्डावर, जिला अलवर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख

Scanned by CamScanner

नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 1096/0.34, 1099/1.25, 1104/1.01, 1283/1106/0.20, 1111/.62, 1112/0.63, 1114/1365/0.63, 1228/1141/0.10, 1229/1141/0.11, 1140/.16, 1138/.15, 1308/1137/0.04, 1307/1137/0.18, 1404/1137/0.09, 1134/0.29, 1133/0.30, 1132/0.22, 1149/0.29, 1150/0.15, 1189/.33, 1185/0.65 1189/0.52, 1229/1141/0.11 में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये।

उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुण्डावर कम भू–अभिलेख अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.12.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुण्डावर कम भू–अभिलेख अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 27.12.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसील मुण्डावर के ग्राम राजवास के आराजी खसरा नम्बर 1095, 1096 के खातेदार अपीलांट संख्या–1 व आराजी खसरा 1112 के खातेदार काश्तकार अपीलांट संख्या 2 व 3 आराजी खसरा नम्बर 1195, 1196 के 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार अपीलांट सख्या 3, आराजी खसरा नम्बर 1099 के खातेदार अपीलांट संख्या 5, आराजी खसरा नम्बर 1365/1114 व 1366/1114 के खातेदार अपीलांट कंवर सिंह एवं आराजी खसरा नम्बर 1111 के खातेदार शशीराम के वारिसान अपीलांट संख्या 7 व 8 व अन्य है जो उक्त खाराजी पर काबिज खातेदार काश्तकार है। अपीलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नम्बर में किसी में भी कोई रास्ता मौके पर नहीं है और ना ही कभी कदीमी रास्ता रहा है और ना ही कोई साबिक नक्शा में दर्शित है और ना ही राजस्व रिकार्ड में अंकित है लेकिन तहत न्यायालय के द्वारा बगैर अपीलांट को सुने ही व अन्य खातेदार को बिना सुने ही आदेश पारित किये गये है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क में जोत में से होकर नया मार्ग खोला या विद्यमान मार्ग का विस्तार करने का प्रावधान है। परन्तु धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट के खातेदार को रास्ता उपलब्ध कराने की नियत से कानूनी प्रावधानों को अनदेखी करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2016 पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251क का अवलोकन करना चाहिये था। यदि किसी खातेदार काश्तकार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं हो तो धारा 251क के अनुसार संबंधित उपखण्ड अधिकारी के समक्ष आवेदन करके प्रचलित बाजार दर से दुगनी राशि पर रास्ता देने का प्रावधान दिया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2016 को निरस्त किया जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुण्डावर कम भू–अभिलेख अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर को तहसीलदार मुण्डावर जिला सीकर ने स्थायी, कदीमी, निर्बाध रूप से प्रचलित बारहमासी, सार्वजनिक आम रास्तो के राजस्व रिकार्ड व नक्शे अंकन, आदिनांकन, परिवर्तन व तरमीम करने का प्रस्ताव दिनांक 16.12.2016 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के प्रावधानुसार तहसील मुण्डावर के ग्राम राजवास के खसरा नम्बर 1096/0.34, 1099/1.25, 1104/1.01, 1283/1106/0.20, 1111/.62, 1112/0.63, 1114/1365/0.63, 1228/1141/0.10, 1229/1141/0.11, 1140/.16, 1138/.15, 1308/1137/0.04, 1307/1137/0.18, 1404/1137/0.09, 1134/0.29, 1133/0.30, 1132/0.22, 1149/0.29, 1150/0.15, 1189/.33, 1185/0.65 1189/0.52, 1229/1141/0.11 में

Scanned by CamScanner

से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुण्डावर कम भू–अभिलेख अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 1096/0.34, 1099/1.25, 1104/1.01, 1283/1106/0.20, 1111/.62, 1112/0.63, 1114/1365/0.63, 1228/1141/0.10, 1229/1141/0.11, 1140/.16, 1138/.15, 1308/1137/0.04, 1307/1137/0.18, 1404/1137/0.09, 1134/0.29, 1133/0.30, 1132/0.22, 1149/0.29, 1150/0.15, 1189/.33, 1185/0.65 1189/0.52, 1229/1141/0.11 में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। रास्ते के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए समस्या व समाधान के अन्तर्गत राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय व निजी भूमियों मे चालू किन्तु मौसम ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार मुण्डावर, जिला अलवर ने स्थायी, कदीमी, निर्बाध रूप से प्रचलित बारहमासी, सार्वजनिक आम रास्तो के राजस्व रिकार्ड व नक्शे अंकन, आदिनांकन, परिवर्तन व तरमीम करने का प्रस्ताव दिनांक 16.12.2016 के अनुसार राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 के प्रावधानुसार तहसील मुण्डावर के ग्राम राजवास के खसरा नम्बर 1096/0.34, 1099/1.25, 1104/1.01, 1283/1106/0.20, 1111/.62, 1112/0.63, 1114/1365/0.63, 1228/1141/0.10, 1229/1141/0.11, 1140/.16, 1138/.15, 1308/1137/0.04, 1307/1137/0.18, 1404/1137/0.09, 1134/0.29, 1133/0.30, 1132/0.22, 1149/0.29, 1150/0.15, 1189/.33, 1185/0.65 1189/0.52, 1229/1141/0.11 में से प्रस्तावित रकबा गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुण्डावर कम भू–अभिलेख अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व ग्राम रामनगर के खसरा नम्बर 1096/0.34, 1099/1.25, 1104/1.01, 1283/1106/0.20, 1111/.62, 1112/0.63, 1114/1365/0.63, 1228/1141/0.10, 1229/1141/0.11, 1140/.16, 1138/.15, 1308/1137/0.04, 1307/1137/0.18, 1404/1137/0.09, 1134/0.29, 1133/0.30, 1132/0.22,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

1149/0.29, 1150/0.15, 1189/.33, 1185/0.65 1189/0.52, 1229/1141/0.11 में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये गये। रास्ते के ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए समस्या व समाधान के अन्तर्गत राज्य में अनेक स्थायी रास्ते राजकीय व निजी भूमियों मे चालू किन्तु मौसम ऋतुओं के अनुसार बदलते नहीं तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे, जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः—अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट मुण्डावर कम भू—अभिलेख अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर दिनांक 27.12.2016 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner